

**डिक्री मुकद्दमात ईबादाई**  
( ओ. नं 6 व 7 जाप्ता दीवानी )  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड (राजस्थान)  
(पीठासीन अधिकारी- श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं० 908/दावा/2018  
दायरा दि० 27/12/2018

**उनवान**

लक्ष्मणलाल पुत्र शम्भूदयाल जाति ब्राम्हण निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर  
— वादी

**बनाम्**

1. आँकारलाल पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
2. छीतरलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
3. बंशीलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
4. कल्याणीबाई पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
5. निर्मलाबाई पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
6. पार्वतीबाई पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
7. कजोड पुत्र विरधीलाल जाति माली निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
8. गथुरालाल पुत्र विरधीलाल जाति माली निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
9. कन्हैयालाल पुत्र विरधीलाल जाति माली निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
10. नर्मदाबाई पुत्री विरधीलाल जाति माली निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
11. पुष्पाबाई पुत्री विरधीलाल जाति माली निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
12. प्रकाशबाई पुत्री विरधीलाल जाति माली निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
13. माधोबाई पुत्र विरधीलाल जाति माली निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर
14. सेन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सारोलाकलां तह० खानपुर
15. राजस्थान राज्य सरकार जय्ये तहसीलदार खानपुर

— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आर.टी.एक्ट 1955

आज यह मुकद्दमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरु मुझ प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए. एस. व हाजरी वादीगण भिन जानिव मुद्दई श्री हितेष राठौर एडवोकेट वादी रूबरु श्री शिवनारायण नागर एडवोकेट प्रतिवादी जानिव मुद्दह्यालय पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:-

न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06.2019 की अनुपालना में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सारोलाकलां की जमाबंदी सं० 2072-75 की खाता सं० 45 की ख०नं० 789 रकबा 0.03 बीघा, ख०नं० 792 रकबा 1.03 बीघा, ख०नं० 793 रकबा 1.19 बीघा कुल 3 कित्ता रकबा 3.05 बीघा आराजी में से वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सों का विभाजन निम्न प्रकार किया जाकर प्रथक-प्रथक खाता दर्ज किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

वादी :- लक्ष्मणलाल पुत्र शम्भूदयाल जाति ब्राम्हण निवासी सारोलाकलां तह० खानपुर के पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी

क०सं०	नाम ग्राम	ख०नं०	रकबा(बीघा)	दिशा
1	सारोलाकलां	793	0.03	पश्चिम
	कुलयोग	1 कित्ता	0.03	

*(Handwritten Signature)*

उपखण्ड अधिकारी  
खानपुर जिला झालावाड  
(राजस्थान)

प्रतिवादीगण 1 लगा0 13 :- औंकारलाल पुत्र गांगीलाल हि0 15/31, छीतरलाल, वंशीलाल पुत्र भंवरलाल कल्याणीवाई, निर्मलावाई, पार्वतीवाई पुत्रियां भंवरलाल हि0 8/31 में हि0ब0, कजोड, मथुरालाल, कन्हैयालाल पुत्र रामचंद्र नर्मदावाई पुष्पावाई प्रकाशवाई पुत्रियां रामचंद्र माधोवाई पत्नि स्व0 रामचंद्र हि0 8/31 में हि0ब0 जाति माली निवासी सारोलाकलां तह0 खानपुर के पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी

क0सं0	नाम ग्राम	ख0नं0	रकवा(बीघा)	दिशा
1	सारोलाकलां	789	0.03	सम्पूर्ण
2	सारोलाकलां	792	1.03	सम्पूर्ण
3	सारोलाकलां	793	1.16	पूर्व
कुलयोग		3 किता	3.02	

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। पृथक पृथक लगान कायम किया जाये। आराजी पर रहन का अंकन यथावत रहेगा। प्रथक दर्ज होने वाली आराजी पर पक्षकारान को मौके पर कब्जा भी दिलाया जाये।

यह डिकी आज दिनांक 03/10/2019 को हमारे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी  
खानपुर जिला झालावाड़  
(राजस्थान)

